फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सीता देवी | कै0 2/(?)

: 93/2024 (प्रा-पत्र)

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों दस्तावेजात, जमाबंदी के अनुसार मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 93/2024

1. सीता देवी पत्नी गुलाब चन्द सैनी जाति माली
2. संतोष देवी पत्नी मोहन लाल सैनी जाति माली

समस्त निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर हाल निवासी ढाणी खिलारिया ग्राम चरणनदी नांगल जैसा बोहरा तहसील व जिला जयपुर

बनाम

1. कोशल्या देवी पत्नी शंकर लाल
2. जीवण राम पुत्र हनुमान सहाय
3. दीपक कुमार यादव पुत्र शंकर लाल
4. राजेश कुमार यादव पुत्र शंकर लाल
5. रामू पुत्र सेडू (नाम हजफ)
6. लालाराम पुत्र हनुमान
7. विकास यादव पुत्र शंकर लाल

समस्त जाति यादव निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू जयपुर
9. उप पंजीयक जालसू जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 08.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके राजस्व ग्राम रायथल पटवार क्षेत्र रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 273 पुराना 261 के खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1028 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1035 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1097 रकबा 1.7300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1106 रकबा 2.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 810/1406 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 817 रकबा 0.6100 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 8.9100 में प्रार्थीया प्रत्येक का हिस्सा 125/1782 निहित हैं। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज एंव अंकित चला आ रहा हैं । प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करती आ रही हैं। वर्णित खसरान् की भूमि को एतद्पश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा हैं । प्रार्थीया ने समय–समय पर अप्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो अप्रार्थीगण मौके पर कब्जे काश्त में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे परन्तु अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 93 / 2024
वउनवानी – सीतादेवी बनाम कौशल्यादेवी वगै0
निर्णय दिनांक :– 08.04.2025

अप्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द कर विशिष्ट भूदृभाग पर निर्माण कार्य करने हेतु उतारू हो गया। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय – हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य भूमि नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह– हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एंव विधिक रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं । इस संबंध में प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को दिनांक 20–10–2024 को वादअधीन भूमि का मौके पर कब्जे काश्त के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण ने मौके पर कब्जे काश्त के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा करके उस प्लॉटिंग करके विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाकर अप्रार्थीगण को वाँछित स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एवं 6 ता 9 बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थीगण बिना विभाजन हुये कृषि भूमि पर मकान बना कर बेचान करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परन्तु प्रार्थी ने यह कही भी साबित नहीं किया की अप्रार्थीगण प्रार्थी के कोनसे हिस्से पर निर्माण अथवा बेचान कर रहे है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड सहखातेदार एवं काश्तकार है, एक सहखातेदार द्वारा, दुसरे सहखातेदार को पाबंद करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, जैसा कि [illegible] न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है इसलिए प्रथम [illegible] नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested